कार्यालय अंचल अधिकारी बेंगाबाद

आदेश फलक

वाद का प्रकार :– (तितिक्षा)
वाद सं0 :– 07/2023-24

श्री विशुन देव मंडल
पिता स्व0 मेघन मंडल
बनाम
श्री मुस्तकीम मियॉं
पिता सानु मियॉं
ग्राम फिटकोरिया

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कार्रवाई
08/05/2023	इस अभिलेख की कार्रवाई अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के पत्रांक 1055/रा0 दिनांक 03.05.23 के द्वारा प्राप्त पत्र में संलग्न आवेदन आवेदक विशुन देव मंडल पिता स्व0 मेघन मंडल ग्राम फिटकोरिया थाना बेंगाबाद जिला गिरिडीह से संबंधित है के आलोक में प्रारंभ किया गया। उक्त आवेदन के अनुसार मौजा कजरो खाता नं0 25 प्लॉट नं0 242 रकवा 18डी0 प्लॉट 146 रकवा 04डी0 खाता 19 प्लॉट 208 रकवा 24डी0 खाता 26 प्लॉट 143 रकवा 04डी0 एवं प्लॉट 278 रकवा 12डी0 भूमी विवाद से संबंधित है, जिस पर राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें। तदनुसार उभय पक्षों को राजस्व कागजात प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 10.05.23 को रखें। 08.05.23 अंचल अधिकारी, बेंगाबाद।	
10/05/23	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उभय पक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित। प्रथम पक्ष के विसुनदेव मंडल ने अपने उपस्थिति आवेदन के साथ मौजा कजरो थाना नं0 360 के अन्तर्गत खाता 19 प्लॉट 207, 208 कुल रकवा 32डी0, सर्वे खतियान चुरामन मंडल वल्द लालदेव मंडल एवं खाता 25 प्लॉट 28,120 एवं अन्य कुल प्लॉटो की सं0 13 कुल रकवा 3.82ए0 सर्वे खतियान रैयत उत्तीम मंडल पेसरान उमर मंडल एवं खाता नं0 26 प्लॉट 26,143 एवं अंन्य कुल प्लॉटों की सं0 14 सर्वे रकवा 2.69ए0 का सर्वे खतियान प्रस्तुत किया। उक्त दस्तावेज के संबंध में श्री विसुनदेव मंडल से सुनवाई के क्रम में प्रश्नगत भूमि के विवाद के संबंध में ब्यान सुनने के दौरान उन्होनें बताया कि टोपी मंडल पिता चुरामन मंडल द्वारा उतबली मियॉं वल्द अहलाद मियॉं के साथ मौजा कजरो थाना 370 खाता नं0 26 प्लॉट नं0 208 रकवा 24डी0 प्लॉट नं0 242 रवका 18डी0 प्लॉट नं0 143 रकवा 4डी0 प्लॉट नं0 146 रकवा 4डी0 एवं प्लॉट नं0 278 करवा 36डी0 मध्ये 12डी0 विक्री किया गया है, जबकि प्लॉट नं0 208 खाता नं0 19 मौजा कजरो का है एवं प्लॉट नं0 242 खाता नं0 25 के अन्तर्गत मौजा कजरो का है जो बिक्री नहीं किया गया है। द्वितीय पक्ष के मुस्तकीम मियॉं का भी सुनवाई के क्रम ब्यान सुनने से स्पष्ट होता है कि मौजा कजरो थाना नं0 370 के अन्तर्गत खाता नं0 26 प्लॉट नं0 143, 146, 208, 242, 278 कुल रकवा 62डी0 भूमि मोबारक हुसैन पिता उतवली मियॉं से खरदीगी प्राप्त है, जिसपर प्रथम पक्ष आवेदक विसुनदेव मंडल द्वारा पुनः बताया गया कि प्लॉट नं0 208 रकवा 24डी खाता नं0 19 प्लॉट नं0 242 रकवा 18डी0 खाता नं0 25 से संबंधित है, जो उनके पूर्वज द्वारा मौजा कजरो खाता नं0 19 एवं 25 का विक्री नहीं किये है, जबकि द्वितीय पक्ष के द्वारा बाजवरन खाता नं0 19 एवं 25 का प्लॉट नं0 208 एवं 242 को कब्जा कर रखा हैं।	

Scanned with CamScanner

अतः आवेदक के आवेदन के आलोक स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों द्वारा प्राप्त राजस्व दस्तावेजो को हल्का मुख्यालय में उपलब्ध कागजातों से मिलान कर राजस्व उप निरीक्षक–सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन की मांग करें।

10.05.23
अंचल अधिकारी,
बेंगाबाद।

24/5/23 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उपनिरीक्षक–सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा कार्यालय में पूर्व के समर्पित जॉच प्रतिवेदन की छाया प्रति प्रस्तुत किये है जो निम्नवत है:–

मौजा कजरो थाना नं0 370 खाता नं0 25 प्लॉट न0 242 रकवा 34डी0 प्लॉट नं0 146 रकवा 4डी0 उतीम मंडल वो हरि मंडल पिता डमर मंडल एवं खाता नं0 19 प्लॉट नं0 208 रकवा 24डी0 चुरामण मंडल पिता लालदेव मंडल तथा खाता नं0 26 प्लॉट नं0 143 रकवा 4डी0 प्लॉट नं0 278 रकवा 38डी0 चुरामन मंडल पिता लाल देव मंडल के नाम से सर्वे खतियान दर्ज है।खाता नं0 25 प्लॉट नं0 28 वगै0 रकवा 1ए0 27.50डी0 की जमाबंदी पंजी–II जिल्द नं0 III के पृष्ठ नं0 15 पर उतीम मंडल के नाम से दर्ज है, जबकि सर्वे खतियान की रकवा 3.42ए0 है।

मौजा कजरो थाना नं0 370 के अन्तर्गत खाता नं0 19 प्लॉट नं0 207 वगै0 रकवा 25.5डी0 जमाबंदी पंजी–II कि जिल्द नं0 I के पृष्ठ नं0 25 पर चुरामन मंडल के नाम से दर्ज है, जबकि सर्वे खतियान की रकवा 32डी0 है।

मौजा कजरो थाना नं0 370 के अन्तर्गत खाता नं0 26 प्लॉट नं0 143 वगै0 रकवा 1.24ए0 की जमाबंदी पंजी–II के जिल्द नं0 I पृष्ट सं0 51 पर चुरामन मंडल वगै0 के नाम से दर्ज है, जबकि सर्वे रकवा 2.79ए0 है।

उक्त खाता नं0 25, 19, 26 का जमाबंदी पंजी–II में प्लॉटवार दर्ज नहीं है, जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस प्लॉट में कितना–कितना रकवा को घटाया गया है। उक्त के संबंध में आवेदक प्रथत पक्ष विशुनदेव मंडल से पूछा गया तो वे भी नहीं बता सके।

प्रथम पक्ष के विसुनदेव मंडल द्वारा आरोपित व्यक्ति द्वितीय पक्ष के खलील मियॉ वगै0 द्वारा जॉच के कम प्रस्तुत दस्तावेज के देखने से यह स्पष्ट होता है कि केवाला सं0 89/दिनांक 04.01.1951 को टोपी मंडल पिता चुरामन मंडल ने उतवली मियॉ पिता स्व0 अहमद मियॉ के साथ मौजा कजरो थाना नं0 370 खाता नं0 26 प्लॉट नं0 208 रकवा 24डी0 प्लॉट नं0 242 रकवा 18डी0 प्लॉट नं0 143 रकवा 4डी0 प्लॉट नं0 146 रकवा 4डी0 प्लॉट नं0 278 रकवा 12डी0 कुल भूमि 62डी0 विकी की है पुनः उपरोक्त भूमि को मोबारक हुसैन पिता उतबली मियॉ ने खलिल मियॉ वगै0 के साथ दस्तावेज नं0 21675 दिनांक 7.3.1981 को खरदीगी के आधार पर भूमि को विकी कर दिया। जिसका जमाबंदी केता खलिल मियॉ वगै0 के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0 54 भोलूम न0 II पर दर्ज है एवं लगान रसीद ऑनलाईन निर्गत है।

प्लॉट नं0 208 खाता नं0 19 का भूमि है प्लॉट नं0 143 एवं 278 खाता नं0 26 की भूमि है। जो विकेता टोपी मंडल पिता चुरामन मंडल क नाम से खतियान दर्ज है प्लॉट नं0 242 एवं146 खाता नं0 25 का भूमि है जो उतीम मंडल वो हरि मंडल के नाम दर्ज है तथा प्लॉट नं0 143 एवं 278 खाता नं0 26 का भूमि हे जो चुरामन मंडल पिता लालदेव मंडल के नाम दर्ज है।

सर्वे खतियान के अनुसार विकी प्लॉट नं0 143 एवं 278 ही खाता नं0 26 का भूमि है जबकि प्लॉट नं0 208 खाता नं0 19 एवं प्लॉट नं0 242 एवं 146 खाता नं0 25 का भूमि है, जबकि खलील मियॉ वगै0 को प्राप्त दस्तावेज सं0 21675 दिनांक 07.03.1981 में सिर्फ खाता 26 दर्ज है।

आदेश

राजस्व उपनिरीक्षक–सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक का उक्त जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि मौजा कजरो थाना नं0 370 खाता नं0 26 के अन्तर्गत प्लॉट नं0 143 रवका 4डी0 एवं प्लॉट न0 278 रकवा 38डी0 भूमि है, जबकि प्लॉट नं0 208 रकवा 24डी0 खाता नं0

Scanned with CamScanner

19 के अन्तर्गत है तथा प्लॉट नं0 25 रकवा 34डी0 प्लॉट नं0 146 रकवा 24डी0 खाता नं0 25 के अन्तर्गत पड़ता है। उक्त खाता प्लॉट रैयती खाते की भूमि है।

द्वितीय पक्षः– मो0 खलील मियॉ वगै0 को उपरोक्त खाता नं0 26 के अन्तर्गत प्लॉट नं0 208 रकवा 24डी0 प्लॉट नं0 242 रकवा 18डी0 प्लॉट नं0 143 रकवा 4डी0 प्लॉट नं0 146 रकवा 4डी0 प्लॉट नं0 278 रकवा 12डी0 कुल भूमि का रकवा 62डी0 उतवली मियॉ पिता स्व0 अहमद मियॉ से केवाला सं0 21675 दिनांक 07.03.1981 को प्राप्त है। उतवली मियॉ को उपरोक्त भूमि टोपी मंडल पिता चुरामण मंडल से दस्तावेज सं0 89 दिनांक 04.01.1951 को प्राप्त है। उक्त जॉच प्रतिवदेन एवं राजस्व दस्तावेज तथा उभय पक्ष का ब्यान सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रथम केवलदार उतवली मियॉ एवं दुसरे केवलदार खलील मिया वगै0 के द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि क्रय कि गई में से मात्र प्लॉट नं0 143 रकवा 4डी० प्लॉट नं0 278 रकवा 38डी० मध्ये 12डी० भूमि खाता नं0 26 के अन्तर्गत है। शेष भूमि सर्वे खतियान के अनुसार प्लॉट नं0 242 एवं 146 खाता नं0 25 का है तथा प्लॉट 208 खाता नं0 19 का है, जिसे लेकर उभय पक्षो के बीच भूमि विवाद है, जो स्वत्व वाद से संबंधित मामला प्रतित होता है, जिसका निष्पादन इस न्यायालय के कार्यक्षेत्र की शक्तियों के अधीन में नहीं है।

उभय पक्ष चाहे जो उक्त मामले का लेकर निष्पादन हेतु सक्षम न्यायालय जा सकते है।

अतः इस अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है।

22.05.23

अंचल अधिकारी,
बेंगाबाद

Digitally signed by Krishna Kumar Marandi
Date: 2023.06.12 14:17:49 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner